"The production in the current year has gone up by 37% value-wise as compared to the year 1992-93. CBI on the basis of the preliminary inquiry found a prima facie evidence against the suspended officers entering into criminal conspiracy with the other parties to syphon off the grant in aid given by the government to the corporation. CBI is still investigating the case.

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त निगम के पास लम्बित पड़े आवेदन पत्र

1784 **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त निगम द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त निगम के लिए आवंटित धनराशि पिछले तीन वर्षों से जारी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त निगम को वर्ष वार कितनी धनराशि जारी की गई तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को कितनी धनराशि दी गई और इन योजनाओं के नाम क्या क्या हैं; और

(ग) कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे तथा उनमें से रद्द किये गये आवेदन पत्रों की संख्या कितनी थी; इनका ब्यौरा तथा कारण क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम सीधे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त निगम सहित राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगमों की निधियां निर्मुक्त करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम को निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	वितरित की गई निधियां (रुपये लाख में)
1. 1991-92	555.00
2. 1992-93	50.00
3. 1993-94	380.00
	985.00

इन निधियों में से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 612.91 लाख रुपये 5191 लाभग्रहियों को मुख्यत: पम्प सैटो तथा वाहनों की योजना के लिए वितरित किए गए।

(ग) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम से कुल 7 योजनाएं प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने 5 योजनाएं स्वीकृत की हैं तथा प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण 2 योजनाएं लम्बित हैं।

Reservation for Backward Classes in Central Government Services

1785. **MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI** : Will the Minister of WELFARE be pleased to state the names of the castes among Muslims which have been included in the list to provide reservation for backward classes in the Central Government Services on the basis of the decision taken in the matter and what are the criteria thereof ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITA RAM KESRI) : The State Government have been requested to furnish information on those sectinos of Muslim community among the OBCs which have been included in the Central

List of OBCs for the purpose of reservation in civil posts and services under Government of India. The information will be laid on the Table of the House after it becomes available.

ईसाइयों के लिए कल्याण योजना

1786. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दलित ईसाइयों के कल्याण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भांति उन्हें भी कब तक लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी योजना को कब तक बनाये जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिल नाडु से संबंधित अनुसूचित जाति मूल के इसाइयों को केन्द्रीय सरकारी सेवाओं तथा इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 8 सितम्बर, 1993 से अन्य पिछड़े वर्गों (ओ० बी०सी०) की तरह आरक्षण हेतु पात्र बनाया गया है। वे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग निगम से आर्थिक सहायता भी ले सकते हैं।

(ख) और (ग) अनुसूचित जनजातियों के मामले में लाभ प्राप्त करने के लिए धर्म कोई बाधा नहीं है। अनुसूचित जाति के मूल इसाईयों को अनुसूचित जाति को प्राप्त लाभ प्रदान करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

Reservations for Admission of OBCs into Educational Institutions

1787. SHRI. V. HANUMANTHA RAO : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the reservation for O.B.Cs. is only for the jobs and not for the educational institutions ;

(b) if so, what steps are being taken to provide reservations for admission of O.B.Cs into the educational institutions; and

(c) what steps are being taken by Government for reservation of seats in the educational institutions for the O.B.Cs in the absence of any recommendation for the reservation of seats in the educational institutions for the O.B.Cs?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) There is no provision for extension of reservation for O.B.Cs. for admission in Educational Institutions.

Construction of Dwelling Units in M. P.

1788. SHRI DILIP SINGH JUDEV :Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) The amount allocated to Madhya Pradesh and Gujarat for constructing dwelling units for scheduled castes and scheduled tribes under the New Industrial Policy ;

(b) if so, the States where such programmes are being implemented :

(c) whether any machinery has been set-up to ensure that people of rural and tribal areas are actually getting the benefits of these programmes ;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the number of such beneficiaries district-wise in M.P. ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) to (e) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश की आदिवासी और पिछड़ी जातियों के युवकों का विकास

1789. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की आदिवासी और पिछड़ी जातियों से संबंधित युवकों के क्रिया-कलापों को प्रोत्साहित करने हेतु बनाई गई